

मैं एक बात और कह दूँ। जो पहले छोटे-छोटे भूकम्प आए थे उनकी कुछ जानकारी मिली थी और उस समय एक टेकनीकल कमेटी इस बात की जांच करने को बैठाई गई थी, मगर इस भूकम्प के बारे में बतला नहीं सके।

ENQUIRY RE RESOLUTION RELATING TO THE OFFICIAL LANGUAGES (AMENDMENT) BILL, 1967

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : माननीया, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। कल जो मैंने प्रस्ताव आपकी सेवा में प्रस्तुत किया था उसके सम्बन्ध में मुझको कुछ निवेदन करना है। आप 5-6 मिनट का समय दें।

THE DEPUTY CHAIRMAN: That has been disallowed, but if you want to take two or three minutes, you may.

श्री राजनारायण : मुझे यह निवेदन करना है कि अनावश्यक ढंग पर आज हमारे देश का वातावरण क्षुब्ध हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहिबा यहाँ बैठी हुई हैं। मुझे यहाँ आते समय ऐसा लगा कि कनाट प्लेस में भी कुछ गड़बड़ी हुई है। मैं इतना साफ कह देना चाहता हूँ उत्तर भारत के रहने वाले लोगों से कि उनके किसी काम से किसी मद्रासी की या तटीय क्षेत्र के लोगों की क्षति नहीं होनी चाहिए। मगर इसमें दिक्कत क्या है। कितना साधु सुझाव है। जितने विरोधी दल के लोगों से हम मिल पाये हैं उन सब लोगों ने करीब-करीब हमारे इस सुझाव से सहमति दिखाई है। आज क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर साहिबा मुक्त कंठ से इस बात को घोषित कर देती कि हम इस भाषा संशोधन विधेयक में आमूल परिवर्तन करने जा रहे हैं। हम, माननीया, आपके जरिये यह साफ करना चाहते हैं कि हम हिन्दी लादने वालों में नहीं हैं, जो राज्य, जो तटीय

क्षेत्र, हिन्दी नहीं अंग्रेजी रखना चाहते हैं उनको अंग्रेजी रखने की छूट दी जाय, मगर जो अंग्रेजी नहीं रखना चाहते उन पर भी अंग्रेजी लादी न जाय, दोनों को समान अवसर मिले। और उसी के साथ साथ मेरा निवेदन है कि अगर मद्रास तामिल में उत्तर प्रदेश को लिखे और उत्तर प्रदेश हिन्दी में मद्रास को लिखे तो जिन राज्यों को लिखा जाय वह अपने लिये ट्रांसलेटर अपने पास रख ले, केन्द्र हिन्दी-भाषा-भाषी क्षेत्रों से हिन्दी में बात करे और हिन्दी-भाषा-भाषी क्षेत्र नहीं हैं उनसे उनकी भाषा में बात करे और तमाम राज्यों को ठीक तरीके से अपनी भाषा में काम करने का अवसर दे।

THE DEPUTY CHAIRMAN: That will do, Mr. Rajnarain.

श्री राजनारायण : अभी आधा मिनट तो बाकी है। और दूसरी बात सर्विसेज के लिये कहना चाहता हूँ कि जो कोटा चाहते हैं उनको पूरा कोटा पापुलेशन की बुनियाद पर दे दिया जाय, पर जो अहिन्दी-भाषा-भाषी क्षेत्र आज अंग्रेजी हटाना चाहते हैं मैं उनके लिये कहना चाहता हूँ कि फौरन उनको ग्रेस दिया जाय, बेटेज दिया जाय और मैं हिन्दी-भाषा-भाषी क्षेत्र की तरफ से कहना चाहता हूँ, सब से हमारी बात हो चुकी है, अगर अहिन्दी-भाषा-भाषी क्षेत्र अंग्रेजी को तत्काल हटाने की बात मान ले तो केन्द्रीय सर्विसेज में उनको 10 वर्ष के लिये, 5 वर्ष के लिये उनकी ताकत और मख्या से अतिरिक्त कोटा हम देने के लिये तैयार हैं। तो सवाल हिन्दी लादने का नहीं है, सवाल अंग्रेजी लादने का है और उल्टे हमको कहा जा रहा है। तो मैं अदब के साथ अपील करूँगा, प्राइम मिनिस्टर साहिबा बैठी हुई हैं, अगर इनके मुखारबिदु से यह बातें आ जाय तो तमाम आन्दोलन जो चल रहा है अपने आप अपनी जगह पर समाप्त हो जाता है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Has the Prime Minister to say anything?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैडम, मे खाली यह कहना चाहती हूँ कि हम सरकार की नीति यहाँ पर दो दफे स्पष्ट कर चुके हैं, राजनारायण जी मुझसे अलग भी मिले, इनसे भी पूरी बहस हुई, तो फिर इन सब बातों को कहने में कोई तथ्य मुझे नहीं दिखता। जहाँ तक संशोधन का प्रश्न है वह दूसरे सदन की बात है। हमें मालूम नहीं कि उचित है या नहीं यहाँ पर उसकी चर्चा करना।

RE CONSTITUTIONAL STALEMATE IN WEST BENGAL

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Madam, exactly two minutes I want.

(Shri A. P. Chatterjee also stood up.)

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is all irregular. I am giving you two two minutes.

SHRI BHUPESH GUPTA: I am grateful to you, Madam, for small mercies. We understand from the papers that the West Bengal Governor, Shri Dharma Vira, is here again and there is a plan by the Central Government to assume the legislative powers of West Bengal in order to dismiss the Speaker and the Deputy Speaker and have the Assembly called, at the same time maintaining the Ministry there. This conspiracy is going on and I have reasons to believe that they want to get it done at the fag end of Parliament. Therefore I hope—the Prime Minister is not even listening. You may be interested in toppling any Government you like. But she should tell us what is her next plan because we cannot keep abreast with her plan. Will she kindly give us an indication whether she has now brought in Shri Dharma Vira again to assume the powers of the West Bengal Legislature in order to dismiss the Speaker?

SHRI C. D. PANDE (Uttar Pradesh): Madam, on a point of order.

When you allowed Mr. Bhupesh Gupta to speak, you said it was irregular and still you allowed him two minutes. After having been allowed, he wants the Prime Minister to reply. I think it is proper that she should not reply.

RE ALLEGED POLICE ATROCITIES IN WEST BENGAL

SHRI A. P. CHATTERJEE (West Bengal): Madam, may I beg leave to draw the attention of the House to the very sever police atrocities going on in the State of West Bengal? As far as the Congress Members are concerned, I might appeal to them also to consider this dispassionately without any predilection for party objectives or party views. After all, Madam, the Police Act is a Central Act, and it is not merely a question of law and order; it is a question of behaviour of the police which has to be guided under the Police Act, and therefore this Parliament and the Central Government are vitally interested and should be vitally concerned with how the police should behave. Madam, we have seen in Calcutta and in various parts of West Bengal that just on the slightest pretext of violation of the order under section 144, Cr. P. C., the police not only beat the persons alleged to be violating the order on the street itself but they take them to the lock-up; they beat the persons mercilessly in the lock-up as well as in the streets. This is the question which I pose to all honest and all well-meaning Members of the Congress Benches also: Have the police any jurisdiction to beat a person in the lock-up or on the street just because he violates an order under section 144? The second aspect of this matter is this.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is too much. You please finish.

SHRI A. P. CHATTERJEE: I have taken only one minute. I know, Madam, in reply to this the police will say that they have given certain charges under the Explosives Act, etc., against those persons whom they beat.